

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 फरवरी 2010—माघ 26, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश

मोतीमहल, ग्वालियर

मध्यप्रदेश में भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री के लायसेंसों के
नीलामी की व्यवस्था, वर्ष 2010-11

ग्वालियर, दिनांक 10 फरवरी 2010

क्र. 7-ठेका-भांग-2010-11-185.—सर्वसाधारण की जानकारी एवं भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि मध्यप्रदेश राज्य में भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस पृथक्-पृथक् तथा/अथवा समूहों में वर्ष 2010-11 अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2010 से दिनांक 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए, दिनांक 6 मार्च 2010, दिन शनिवार को प्रातः 10.30 बजे से बोली के माध्यम से नीलाम किए जायेंगे. जो व्यक्ति भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के नीलाम में भाग लेना चाहें, वे परिशिष्ट-एक में तथा जो व्यक्ति ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के नीलाम में भाग लेना चाहें, वे परिशिष्ट-दो में दर्शाए गये अनुसार संबंधित नीलाम केन्द्रों पर, नियत नीलाम तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नियमानुसार बोली दे सकते हैं. सम्बन्धित नियमों, विक्रय ज्ञापन, मादक द्रव्यों की खपत, ड्यूटी की दर आदि की जानकारी, सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है. नीलाम की शर्तें एवं निर्बन्धन नीलाम के समय, नीलाम स्थल पर भी पढ़कर सुनाये जायेंगे. नीलाम की कार्यवाही यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिनांक 6 मार्च 2010, दिन शनिवार को पूरी नहीं हुई तो, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर की जा सकेगी.

नोट.—नीलाम से तात्पर्य केवल बोली के माध्यम से लायसेंसों के निराकरण की प्रक्रिया से है.

नीलाम की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन

1. नीलाम स्थल में प्रवेश एवं प्रवेश के लिए शुल्क.—नीलाम स्थल में बोली देने के लिए वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, जो नीलाम में भाग लेने के पात्र होंगे तथा जिन बोलीदारों द्वारा निम्न शर्त क्रमांक 2, 3, 4, 5 एवं 6 का पालन कर लिया गया हो। नीलाम स्थल पर बोली देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को रुपये 500/- (पांच सौ रुपये) प्रवेश शुल्क, संबंधित जिले के सहायक आबकारी, आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी उसे विधिवत् एम.पी.टी.सी.-6 रसीद दी जावेगी। उसे दो क्रमांकित प्रवेश-पत्र दिये जायेंगे, एक उसके स्वयं के उपयोग के लिए तथा एक उसके सहयोगी के लिए। बोली देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले क्रमांकित लाल प्रवेश-पत्र पर नीलाम वर्ष, बोलीदार का नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क का विवरण अंकित होगा। सहयोगी को दिये जाने वाले क्रमांकित सफेद प्रवेश-पत्र पर नीलाम वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा। प्रवेश-पत्र पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित एवं अधिकृत अधीनस्थ आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी। प्रवेशित व्यक्ति प्रवेश-पत्र को अपने सीने में बायीं ओर लगायेगा तथा नीलाम पण्डाल में उपस्थित रहने तक उसे भली-भांति लगाए रखेगा।

2. व्यक्ति जो नीलाम में भाग लेने से वर्जित होंगे.—नीलाम में ऐसे व्यक्ति ही बोली लगा सकेंगे, जो भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नांकित व्यक्ति नीलाम में बोली लगाने के लिए अयोग्य रहेंगे :—

- 2.1 कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का हो;
- 2.2 कोई भी व्यक्ति, जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राजस्व की राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो। भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2009-2010 की अवधि का लायसेंस, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2009-10 की देय सम्पूर्ण लायसेंस फीस न पटाई गई हो;
- 2.3 कोई भी व्यक्ति जो पहले भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंस रहा हो और लायसेंस की हैसियत से उसका आचरण, नीलाम करने वाले अधिकारी, कलेक्टर के मत में संतोषजनक न रहा हो;
- 2.4 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो;
- 2.5 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में नीलामकर्ता अधिकारी, कलेक्टर को यह विश्वास हो कि वह, बुरे आचरण वाला है;
- 2.6 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 2) या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम, 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दंड संहिता (1860 का क्र. 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या मेडिसिनल एण्ड टॉयलेट प्रिपेरेशन (एक्सआईज ड्यूटी) अधिनियम, 1955 अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, 1985 तथा/अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

टिप्पणी.— 1. बकाया की राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित शर्त, नीलामकर्ता अधिकारी द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

2. काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 2.4 में उल्लेखित शर्त, नीलामकर्ता अधिकारी द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

3. सहमति करार-पत्र प्रस्तुत किया जाना.—प्रत्येक बोलीदार को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार-पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह नीलामी की प्रक्रिया में नीलाम की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तदनुसार राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान, उसमें संधारित बचत बैंक खाते का क्रमांक, स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा क्रमांक (PAN) की जानकारी अंकित कर, किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक/आयकर अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, प्रमाण स्वरूप सहमति करार में हस्ताक्षर कर, सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

भाग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के नीलाम में बोली देने के पूर्व, बोली की शर्तों को मान्य करने का सहमति-करार

सहायक आबकारी आयुक्त/
जिला आबकारी अधिकारी/
राष्ट्रीयकृत अथवा अधिसूचित/
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा
प्रबन्धक/आयकर अधिकारी के
द्वारा प्रमाणित छायाप्रति एवं
प्रमाणित हस्ताक्षर

मैं, (बोलीदार का नाम)
पिता/पति श्री
निवासी
धन्धे का स्थान आयु (वर्ष)
शपथ पूर्वक घोषित करता / करती हूँ कि—

1. मेरे राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक व बैंक का नाम तथा पता है.
2. बोलीदार का स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके कोई भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का स्थायी आयकर लेखा (PAN) क्रमांक है.
3. मैंने भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के वर्ष 2010-11 के लिए नीलाम की शर्तें पढ़, सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं नीलाम की शर्तें प्रतिग्रहीत करता/करती हूँ.
4. मैंने अर्नेस्टमनी जमा का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है.
5. मैं अपनी बोली से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निक्षेप किये गये अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि के समर्पण के लिए करार करता/करती हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूँ कि पुनः नीलाम की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

दिनांक

हस्ताक्षर

टीप.—(1) प्रत्येक भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के बोलीदार (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा (PAN) क्रमांक, उसके द्वारा प्रस्तुत सहमति करार-पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा. उपरोक्त सहमति करार-पत्र भरकर, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा.

(2) बोलीदार यदि पंजीकृत फर्म/कंपनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार-पत्र की पूर्ति कर, हस्ताक्षर करना होंगे.

श्री/श्रीमती को उपरोक्त भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी लायसेंस/लायसेंसों के समूहों के उल्लेखित नीलाम में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गयी है.

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी दिनांक सहित

जिला

4. नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना.—प्रत्येक भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के बोलीदार (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा.

शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम)
(पिता / पति का नाम)
निवासी (पता)

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता / करती हूँ कि :—

- (1) मैं स्वयं (फर्म/कम्पनी का नाम) की ओर से अधिकार-पत्र ग्रहीता हूँ.
- (2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई अथवा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2009-10 के लिये उल्लेखित नीलाम में, बोली देने हेतु अपात्र नहीं हूँ/हैं.
- (3) मेरे द्वारा सहमति करार-पत्र, वांछित सहपत्रों सहित प्रस्तुत कर दिया गया है. उसमें दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है.
- (4) मेरे द्वारा नीलाम हेतु निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि कुल रुपये निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गई है :—

| | | |
|------|---|-------------|
| (i) | नगद राशि | रुपये |
| (ii) | बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक कैश आर्डर | रुपये |

योग .. रुपये

- (5) यह कि मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक के कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है.
- (6) यह कि भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी का नीलाम मेरे (फर्म/कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक) नाम से स्वीकृत होने की दशा में 1/6 भाग अग्रिम राशि तथा 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिये आबद्ध रहूंगा/रहूंगी.
- (7) यह कि भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के नीलाम में, बोली देने के लिए, मेरे द्वारा नीलामकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार-पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं. उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर, नीलामकर्ता अधिकारी, कलेक्टर को बोली / ऑफर तथा लायसेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि को जब्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके सम्बन्ध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी.

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक / / 2010

सत्यापन लेख

मैं, (नाम)
(पिता / पति का नाम) श्री शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ
कि इस शपथ-पत्र के चरण (1) से चरण (7) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है. इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है.

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक / / 2010

5. बोलीदार की पहचान एवं उसके निवास के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में.— प्रत्येक भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों के इच्छुक बोलीदार को, उसकी व्यक्तिगत पहचान एवं उसके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेज स्वप्रमाणित कर, संलग्न प्रस्तुत करना होंगे :—

5.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :—

1. वैध पासपोर्ट
2. वैध स्थायी आयकर लेखा (PAN) क्रमांक
3. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत वैध मतदाता पहचान-पत्र (EPIC CARD)
4. वैध ड्राइविंग लायसेंस
5. फोटोयुक्त बैंक लेखा पुस्तिका की मूल/प्रमाणित प्रति

5.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :—

1. अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाईल फोन बिल
2. अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल
3. अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस कनेक्शन रसीद
4. अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल
5. किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो क्रेडिट कार्ड
6. स्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण-पत्र
7. बैंक लेखा पुस्तिका की मूल/प्रमाणित प्रति.

6. यदि कोई बोलीदार किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से बोली लगाना चाहता है तो बोली लगाने के पूर्व उसे निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :—

- (i) संबंधित फर्म/कम्पनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र/निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि.
- (ii) फर्म की पार्टनरशिप डीड/कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि.
- (iii) फर्म की दशा में रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्सट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची.
- (iv) संबंधित फर्म/कम्पनी के संचालक मण्डल की ओर से नीलाम में भाग लेने के आशय के resolution के साथ बोलीदार के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार-पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति.

7. आरक्षित मूल्य.— वर्ष 2010-11 के लिए भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के नीलाम हेतु संबंधित दुकान/दुकानों के समूह की वर्ष 2009-10 की वार्षिक लायसेंस फीस में, 10 प्रतिशत वृद्धि कर, वर्ष 2010-11 के लिये आरक्षित मूल्य घोषित किया जायेगा. (वर्ष 2009-10 में एक से अधिक बार नीलामी की स्थिति में, आनुपातिक रूप से परिगणना करने पर, जो सर्वाधिक मूल्य आयेगा, उसके अनुसार ही वर्ष 2009-10 की वार्षिक लायसेंस फीस की गणना की जायेगी.)

8. अर्नेस्टमनी जमा करना.— प्रत्येक बोलीदार को बोली लगाने के पूर्व, सम्बन्धित भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के लिए वर्ष 2010-11 के लिये घोषित आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर अर्नेस्टमनी नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के केश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी. प्राप्त अर्नेस्टमनी की विधिवत पुष्टि/संतुष्टि कलेक्टर द्वारा कर लेने के उपरान्त ही बोली ली जावेगी. इस प्रकार जमा की गयी अर्नेस्टमनी के विरुद्ध बोलीदार 12 गुना राशि की सीमा तक संबंधित भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लाइसेंस हेतु बोली दे सकेंगे. सफल बोलीदार द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गयी राशि निम्नलिखित शर्त क्र. 10 में उल्लेखित अग्रिम धन/प्रतिभूति राशि के विरुद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा अवशेष राशि वापिस की जावेगी. असफल बोलीदार को जमा अर्नेस्टमनी की पूरी राशि वापिस की जायेगी. असफल बोलीदार को जमा अर्नेस्टमनी की राशि वापिस प्राप्त करने के लिए रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर पावती देना होगी.

9. नीलामी की प्रक्रिया.— वर्ष 2010-11 के लिये भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के नीलाम में, बोली के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

9.1 नीलाम की कार्यवाही, संबंधित नीलाम स्थल पर नीलाम की शर्तों के वाचन के साथ निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रारंभ की जायेगी.

9.2 नीलाम की शर्तों के वाचन के पश्चात्, वर्ष 2010-11 के लिये भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान का नीलाम पृथक्-पृथक् बोली आमंत्रित कर किया जाएगा. पृथक्-पृथक् नीलामी न होने पर, राजस्व हित में समूह में नीलामी के प्रयास किए जाएंगे. राजस्व के हित में इस प्रकार निर्णय लेने का अधिकार संबंधित कलेक्टर को होगा. समूह इस प्रकार बनाए जाएंगे, जिससे अधिकाधिक राजस्व प्राप्त हो सके.

9.3 नीलामकर्ता अधिकारी, कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि अगर प्राप्त उच्चतम बोली संबंधित भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, तो उसे उचित समझने पर वे नीलाम अन्तिम कर सकेंगे. बचे हुये भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई एवं ताड़ी के फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की नीलामी हेतु, आगामी तिथि की घोषणा, कलेक्टर द्वारा नीलाम स्थल पर ही की जायेगी.

9.4 नीलाम की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी बोलीदार अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव सशर्त अथवा बिना शर्त, पुनः नीलाम के प्रावधानों को छोड़कर, न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा.

नोट.— नीलामकर्ता अधिकारी से तात्पर्य सम्बंधित जिले के कलेक्टर से है.

10. अग्रिम धन/प्रतिभूति जमा करना :—

10.1 भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2010-11 के प्रत्येक सफल बोलीदार को अपनी उच्चतम बोली का 1/6 भाग अग्रिम धन तत्काल जमा करना होगा. जमा की जाने वाली इस राशि के विरुद्ध बोलीदार के द्वारा, बोली देने के पूर्व, जमा की गयी अर्नेस्ट मनी की राशि अथवा जितनी आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी. शेष अग्रिम धन की राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, भुगतान योग्य किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैंश आर्डर के रूप में नीलाम के पश्चात् तुरन्त जमा करना होगी.

10.2 भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2010-11 के सफल बोलीदार के अनुरोध पर, कलेक्टर सफल बोलीदार को, अग्रिम धनराशि का शेष भाग जो अर्नेस्टमनी के समायोजन उपरान्त देय होगा, को जमा करने के लिए, तीन दिवस का समय दे सकेंगे. तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे.

10.3 इन सभी भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस हेतु सफल बोलीदार को अपनी बोली की 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि नगद अथवा सम्बंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक गारंटी अथवा स्थानीय शाखा पर भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैंश आर्डर के रूप में नीलाम के 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी. तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे. वर्ष 2010-11 के लिए प्रस्तुत की जाने वाली, वांछित राशि की बैंक गारण्टी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में एवं रुपये 250/- मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर, तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी.

10.4 अगर कोई सफल बोलीदार मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है तो उसे, मध्यप्रदेश के संबंधित जिले अथवा उस जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित, उसी बैंक की शाखा द्वारा सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रस्तुत करना होगी.

10.5 सफल बोलीदार द्वारा नीलाम की शर्तों का पालन न करने, 1/6 अग्रिम धन राशि या 1/12 भाग प्रतिभूति राशि जमा करने में विलम्ब के कारण, यदि उसे लायसेंस विलम्ब से प्राप्त होता है तो, उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की पात्रता नहीं होगी.

1/6 अग्रिम धन एवं 1/12 प्रतिभूति की राशि जमा न करने की दशा में, सफल बोलीदार द्वारा जमा अर्नेस्टमनी अथवा जमा की गयी अन्य कोई भी राशि राजसात की जा सकेगी और उसके उत्तरदायित्व पर लायसेंसों का पुनः नीलाम किया जायेगा. इस पुनः नीलामी के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित बोलीदार से भू-राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी.

10.6 भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2010-11 के लिए जमा 1/6 भाग अग्रिम राशि, माह फरवरी एवं मार्च 2011 की लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजित की जावेगी.

10.7 प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी 1/12 भाग की बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 30-6-2011 तक की होगी. कोई भी बैंक गारंटी, इससे अल्प अथवा आंशिक वैधता अवधि की स्वीकार्य नहीं होगी.

10.8 भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के लिए, प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी को, लायसेंस शर्तों के उल्लंघन आदि के विरुद्ध, जमानत के रूप में रखा जावेगा. दिनांक 30 जून 2011 तक अथवा इसके पूर्व 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त, यदि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कोई शास्ति/संधान राशि अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राशि अथवा अन्य बकाया राशि की वसूली/समायोजन के उपरान्त वापिस की जा सकेगी.

10.9 अर्नेस्टमनी/अग्रिम जमा/प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राशि के वैध होने का उत्तरदायित्व बोलीदार का होगा. यदि कोई सफल बोलीदार जमा की गई अग्रिम जमा/प्रतिभूति की राशि के स्वरूप में कोई परिवर्तन चाहता है अर्थात् नगद राशि, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैंश आर्डर के स्थान पर बैंक गारंटी/ अथवा बैंक गारंटी के स्थान पर नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैंश आर्डर को प्रतिस्थापित करना चाहता है तो, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिए सक्षम होंगे. परन्तु ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल बोलीदार की निर्धारित प्रतिभूति की राशि विभाग के पास निरन्तर जमा रहे.

10.10 बोलीदार द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि चैक द्वारा नहीं ली जावेगी.

11. **खिसारे की वसूली/अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि को राजसात करना.**— भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस का, उच्चतम बोलीदार यदि बोली की पुष्टि तक अपनी लगाई गई बोली पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा बोली वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे लायसेंस/लायसेंसों को पुनः नीलाम करने पर जो खिसारा आयेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी वह संबंधित उच्चतम बोलीदार से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाएगी. उपरोक्त हेतु एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय, नीलाम की शर्तों के उल्लंघन पर, उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी अथवा यदि अर्नेस्टमनी का समायोजन शर्त क्रमांक 10 के अनुरूप, जमा किए जाने वाले अग्रिम धन (1/6) अथवा प्रतिभूति की 1/12 भाग राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि के विरुद्ध किया गया है तो, इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी तथा जमा अग्रिम धन (1/6) भाग की राशि, प्रतिभूति का 1/12 भाग की राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि को भी, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा. बोलीदार द्वारा नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैंश आर्डर के रूप में जमा की गई, अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी. इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा.

12. पुनः नीलाम.—

12.1 पुनः नीलाम के लिए वह व्यक्ति ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2010-11 के नीलाम के समय, उस लायसेंस/लायसेंसों के समूह जिसका वह पुनः नीलाम चाहता है, के नीलाम में उपस्थित रहा हो तथा जो नीलाम में भाग लेने के लिए अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायसेंस/लायसेंसों के समूह की बोली अन्तिम की गयी हो, ऐसे लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लिये उसके द्वारा बोली दी गयी हो.

12.2 नीलाम किये गये भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के पुनः नीलाम के लिये आवेदन-पत्र नीलाम तिथि के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाएंगे. तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जाएंगे. आवेदक को पुनः नीलाम के आवेदन के साथ भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस, जिसका वह पुनः नीलाम चाहता है में, प्राप्त उच्चतम बोली के 1/3 भाग के बराबर राशि (आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि को कम करके, बाकी राशि) नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैंश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी.

12.3 पुनः नीलाम के आवेदन-पत्र पर तभी विचार किया जाएगा, जबकि आवेदक नीलामी की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम बोली से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक की बोली देना चाहता हो। पुनः नीलाम की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। यदि कलेक्टर नीलाम स्थल में पुनः नीलाम की घोषणा करते हैं तो, कम से कम 05 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे।

12.4 पुनः नीलाम होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता पुनः नीलामी में सम्मिलित होकर बोली नहीं लगाता है तो उसके द्वारा जमा की गई 1/3 भाग की राशि राजसात हो जायेगी। उसे आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि पुनः नीलाम होने की दशा में वह प्रस्तावित बोली से कम की बोली नहीं लगायेगा और ऐसी बोली लगाने में असफल रहेगा तो उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात हो जायेगी।

12.5 किसी भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के पुनः नीलाम के प्रस्ताव का आवेदन-पत्र, केवल एक ही बार मान्य क्रिया जायेगा।

12.6 किसी भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का पुनः नीलाम होने पर भी, उसके प्रथम नीलाम के समय, जिस बोलीदार द्वारा उच्चतम बोली दी गयी हो, वह 15 दिन तक, अपनी उस बोली पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा।

12.7 पुनः नीलाम की इस कार्यवाही में, प्रत्येक पात्र व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग ले सकेंगे।

13. वर्ष 2010-11 की अवधि में नीलाम की शर्तों का प्रभावशील रहना.— भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के नीलाम की ये सभी शर्तें वर्ष 2010-11 के लिए तथा वर्ष 2010-11 के दौरान होने वाले पुनः नीलाम की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेंगी।

14. वार्षिक लायसेंस फीस जमा करना :

14.1 भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस को, प्रत्येक भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान की, पृथक्-पृथक् देय वार्षिक लायसेंस फीस की मासिक अंशिका, जिला कोषालय अथवा संबंधित उप कोषालय में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम जमा करना होगा। यदि वार्षिक लायसेंस फीस 12 से पूर्ण विभाजित न हो तो, भागफल की अवशेष राशि, माह अप्रैल 2010 की लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी।

14.2 भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के प्रत्येक सफल बोलीदार को 31 मार्च 2010 या उसके पूर्व माह अप्रैल 2010 की लायसेंस फीस की देय किश्त, अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त किश्त जमा होने पर ही, उसे लायसेंस जारी किया जावेगा।

14.3 यदि किसी भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस द्वारा देय मासिक लायसेंस फीस, उपरोक्त शर्त क्रमांक 14.1 के अनुसार माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व जमा नहीं की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा उस भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह को भांग का प्रदाय निषेधित किया जा सकेगा। ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस को ताड़ी के संग्रहण हेतु परिवहन पास निषेधित किया जा सकेगा। संबंधित माह की देय लायसेंस फीस, उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अवशेष रहने की दशा में, ऐसे भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का लायसेंस निरस्त कर, पुनः नीलाम करने की कार्यवाही संबंधित लायसेंस के उत्तरदायित्व पर की जायेगी। इस पुनः नीलामी के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित लायसेंस से भू-राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी।

नोट.—सफल बोलीदार का आशय ऐसे बोलीदार से है, जिसकी उच्चतम बोली नीलामी के समय अंतिम की गई हो।

15. लायसेंस/लायसेंसों का हस्तांतरण.—वर्ष 2010-11 में भांग, भांगघोटा, भांग, मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की अवधि के दौरान, यदि किसी लायसेंस/लायसेंसों का हस्तांतरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो लायसेंस/लायसेंसों की शेष अवधि की लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने के लिए एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायसेंस (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम लायसेंस का हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे।

16. **नीलाम की कार्यवाही में न लगाई गई बोली स्वीकार न करना.**—वर्ष 2010-11 के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की बोली, जिसने भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के नीलाम के समय अथवा पुनः नीलाम यदि हुआ हो तो पुनः नीलाम के समय बोली न दी हो, विचार योग्य नहीं होगी.

17. **वर्ष 2010-11 के लिए नीलाम की कार्यवाही पूर्ण करना.**— वर्ष 2010-11 के लिये नीलाम किये गये भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की बोली, अन्तिम होने के पश्चात् यदि संबंधित बोलीदार द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर/आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार किसी भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का नीलाम फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए, यदि नीलाम के दौरान ही पुनः नीलाम की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो तो, पुनः नीलाम की सूचना पुनः नीलाम के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी तथा उसके लिए शर्त क्रमांक 18 का पालन किया जायेगा. पुनः नीलाम की तिथि संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी. इसी प्रकार यदि भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के किसी समूह का, किसी भी कारण से नियत तिथि को नीलाम सम्पन्न/अन्तिम नहीं होता है तो, उसके नीलाम हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे. जिसकी घोषणा नीलाम पण्डाल में ही की जा सकती है.

18. **वर्ष 2010-11 की अवधि में पुनःनीलाम करना.**—वर्ष 2010-11 के लिए अथवा वर्ष के मध्य में भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का पुनः नीलाम करने की स्थिति उत्पन्न होने पर, लायसेंस को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनःनीलाम किया जा सकेगा. पुनः नीलाम हेतु सूचना-पत्र, पुनः नीलाम के प्रस्तावित दिनांक से, कम से कम पांच दिन पूर्व जारी किया जायेगा.

19. **प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना.**—वर्ष 2010-11 के लिए नीलाम किये गये भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के उच्चतम बोलीदार को समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा. प्रतिरूप करार निष्पादन के उपरान्त ही उसे संबंधित दुकान का लायसेंस जारी किया जायेगा.

20. **भांग की ड्यूटी दरें.**—वर्ष 2010-11 में भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई की नीलाम की गयी दुकानों तथा उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनायी जाने वाली औषधियों के लिए भांग की ड्यूटी दर निम्नानुसार रहेंगी :—

| क्रमांक (1) | विवरण (2) | ड्यूटी दर (3) |
|----------------|--|---|
| 1. | भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई की नीलाम की गई दुकानों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर | रुपये 85/- (रुपये पिच्चासी) प्रति किलोग्राम |
| 2. | उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनायी जाने वाली औषधियों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर | रुपये 250/- (रुपये दो सौ पचास) प्रति किलोग्राम |

21. भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई दुकानों की व्यवस्था.—

21.1 भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस को देय ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध, भाण्डागार से प्रदाय की गयी भांग की सीलबन्द थैलियों से ही भांग का विक्रय करना होगा एक थैली की भांग समाप्त होने पर ही दूसरी थैली की सील खोली जावेगी.

21.2 भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस को सामान्य लायसेंस शर्त 13 एवं एच.डी.-7 लायसेंस की शर्त 3(डी) के अनुपालन में 100, 50, 20, 10, 5, 2 एवं 1 ग्राम के बांट तथा तराजू दुकान में रखना होगा. भांग की बिक्री हेतु उन्हें ही उपयोग करना होगा. यह बांट एवं तराजू नाप-तौल विभाग से विद्यमान वर्ष के लिए प्रमाणित होना चाहिए.

21.3 भांग के फुटकर विक्रय के लायसेंस को भांग का विक्रय सीधे क्रेता को विधिवत् तौलकर करना होगा. पुड़िया अथवा पैकिट में पूर्व से ही पैक कर रखी हुई भांग का विक्रय नहीं किया जायेगा.

21.4 जिले के भांग ठेकेदारों को, पिसी भांग की गोली बेचने की जो सुविधा वर्तमान वर्ष 2009-10 में प्रचलित है, वह सुविधा वर्ष 2010-11 के लिए भी यथावत् रहेगी अर्थात् भांग ठेकेदारों को प्रपत्र एच.डी.-8 में लायसेंस प्राप्त करना होगा. जिसकी लायसेंस फीस रुपया 3/- दैनिक होगी. ठेकेदार को इस हेतु आवेदन-पत्र जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा.

जिससे उन्हें प्रपत्र एच.डी.-8 में लायसेंस देने पर विचार किया जा सके. ठेकेदार को रुपया 3/- प्रतिदिन की दर से देय समेकित लायसेंस फीस अग्रिम जमा करानी होगी. जो संबंधित दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी.

22. ताड़ी सम्बन्धी शर्तें.—

22.1 वर्ष 2010-11 में ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान का सफल बोलीदार, ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों, आपत्ति रहित स्थान पर प्रारम्भ करेगा.

22.2 ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस को प्रत्येक दुकान के लायसेंस/लायसेंसों की पृथक्-पृथक् देय वार्षिक लायसेंस फीस की मासिक अंशिका, जिला कोषालय अथवा सम्बन्धित उप कोषालय में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम जमा करना होगी. यदि वार्षिक लायसेंस फीस 12 से पूर्ण विभाजित न हो तो, भागफल की अवशेष राशि माह अप्रैल 2010 की लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी. माह अप्रैल 2010 की देय मासिक लायसेंस फीस अग्रिम जमा कर चालान की मूलप्रति लायसेंस द्वारा प्रस्तुत करने पर ही संबंधित ताड़ी दुकान का लायसेंस एवं ताड़ी निकालने का अधिकार-पत्र जारी किया जायेगा.

22.3 ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्षा ऋतु में अर्थात् 1 जून से 14 अक्टूबर तक बन्द रखी जा सकती हैं.

22.4 ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह ताड़ी के वृक्षों के स्वामी से सौदे की बातचीत कर, ताड़ी निकालने की व्यवस्था स्वयं करें. ऐसे वृक्ष जिन पर, किसी शासकीय विभाग का अथवा जनता के किन्हीं व्यक्तियों का स्वामित्व हो तथा जिसमें छेद कर ताड़ी निकालने की आज्ञा दी गयी है. ऐसे वृक्षों के बारे में वह सम्बन्धित वृत्त के उपनिरीक्षक/सहायक जिला आबकारी अधिकारी को जानकारी देगा.

22.5 वर्ष 2010-11 के लिए वृक्ष कर रुपये 5/- प्रति वृक्ष प्रतिवर्ष होगा.

22.6 ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान पर 500, 200, 100, 50, 20 मिली लीटर के माप जो, नाप-तौल विभाग द्वारा विद्यमान वर्ष के लिए प्रमाणित होंगे, रखे जायेंगे. यदि माप पीतल के हों, तो उन पर कलई कर, उपयोग में लाया जायेगा. अन्य मापों को दुकानों में रखना और उनसे बिक्री करना निषिद्ध रहेगा.

22.7 ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंस पानी अथवा अन्य कोई वस्तु जो ताड़ी की तेजी घटाने या बढ़ाने में उपयोग में लायी जा सकती है, दुकान के अन्दर किसी स्थान में नहीं रखेगा.

22.8 ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, नियत किये गये प्रारूप में वृक्ष को छेद कर निकाली गयी ताड़ी तथा दुकान पर विक्रय की गई ताड़ी का हिसाब रखे तथा उसकी मासिक विवरणी वृत्त के उपनिरीक्षक को प्रतिमाह की 3 तारीख तक पहुंचाये.

22.9 ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस को वृक्ष छेदने के पूर्व वृत्त के उपनिरीक्षक से प्रपत्र टी-1 में लायसेंस प्राप्त करना होगा. निकाली हुई ताड़ी के परिवहन के लिए प्रपत्र टी-2 में परमिट लेना होगा. प्रपत्र टी-3 में ट्रांसपोर्ट पास, हेड टेपर द्वारा जारी किया जायेगा ताड़ी का परिवहन रात्रि 9.00 बजे के बाद एवं सुबह 4.30 बजे के पूर्व नहीं किया जा सकेगा. यदि ताड़ी का परिवहन, जिस जिले में वृक्ष है, उसकी सीमा के बाहर से किया जाता है तो आबकारी आयुक्त के विशेष अथवा साधारण आदेश द्वारा निर्धारित परमिट अथवा पास प्राप्त करना होगा.

22.10 एक ही दिन में लाई गयी ताड़ी को, पूर्ववर्ती दिनों में अथवा अन्य पृथक्-पृथक् दिनों में लायी गयी बासी ताड़ी से मिश्रित नहीं किया जायेगा.

23. शर्त क्रमांक 17 एवं 18 के अधीन पुनः नीलाम की तिथि की घोषणा, यदि नीलाम के दिन नीलाम स्थल पर ही, उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है तो, ऐसे पुनः नीलाम की सूचना जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी, समाचार-पत्र में प्रकाशित की जायेगी और सूचना-पत्र का प्रदर्शन, संबंधित जिला कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी किया जाएगा.

24. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश किसी भी भाग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/लायसेंसों के समूह की बोली के अन्तिम किये जाने के उपरान्त भी, नीलाम संबंधी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा/तथा राजस्व के हित में विहित शर्तों के अधीन, उन्हें पुनः नीलाम करने के आदेश, नीलाम अन्तिम होने के 07 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझे, दे सकेंगे. इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा.

25. अन्य कर.—वर्ष 2010-11 में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा तो लायसेंस इस बाबत लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा. इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी.

26. भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के नीलाम के संबंध में अन्य सभी प्रावधान एवं व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख इस विज्ञप्ति में नहीं किया गया है, वे व्यवस्थाएँ वर्ष 2009-10 में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही रहेंगी.

27. भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस / लायसेंसों का नीलाम मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 2) जैसा कि अब तक संशोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एवं समय-समय पर संशोधित किए गये नियमों और समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अधीन रहेगा.

परिशिष्ट-एक

वर्ष 2010-11 के लिए मध्यप्रदेश में भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री के लायसेंसों के नीलाम की कार्यवाही हेतु नियत स्थल

| क्रमांक (1) | जिले का नाम (2) | नीलाम स्थल (3) |
|----------------|--------------------|---|
| 1 | इन्दौर | कलेक्टोरेट, इन्दौर |
| 2 | झाबुआ | कलेक्टोरेट, झाबुआ |
| 3 | अलीराजपुर | कलेक्टोरेट, अलीराजपुर |
| 4 | खरगौन | स्वामी विवेकानंद सभा गृह, कलेक्टोरेट, खरगौन |
| 5 | बड़वानी | कलेक्टोरेट, बड़वानी |
| 6 | धार | कलेक्टोरेट, धार |
| 7 | खण्डवा | आबकारी भवन परिसर, खण्डवा |
| 8 | बुरहानपुर | कलेक्टोरेट, बुरहानपुर |
| 9 | भोपाल | सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, भोपाल |
| 10 | राजगढ़ | नवीन कलेक्टोरेट, राजगढ़ (ब्यावरा) |
| 11 | विदिशा | कलेक्टोरेट, विदिशा |
| 12 | सीहोर | कलेक्टोरेट, सीहोर |
| 13 | रायसेन | कलेक्टोरेट, रायसेन |
| 14 | होशंगाबाद | कलेक्टोरेट, होशंगाबाद |
| 15 | हरदा | कलेक्टोरेट, हरदा |
| 16 | बैतूल | जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल |
| 17 | जबलपुर | कलेक्टोरेट, जबलपुर |
| 18 | डिण्डोरी | कलेक्टोरेट, डिण्डोरी |
| 19 | सिवनी | कलेक्टोरेट, सिवनी |
| 20 | छिंदवाड़ा | कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा |
| 21 | कटनी | कलेक्टोरेट, कटनी |
| 22 | बालाघाट | कलेक्टोरेट, बालाघाट |
| 23 | मण्डला | कलेक्टोरेट, मण्डला |
| 24 | नरसिंहपुर | न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंहपुर |
| 25 | ग्वालियर | कलेक्टोरेट, ग्वालियर |
| 26 | मुरैना | कलेक्टोरेट, मुरैना |
| 27 | भिण्ड | कलेक्टोरेट, भिण्ड |
| 28 | श्योपुर | कलेक्टोरेट, श्योपुर |
| 29 | गुना | कलेक्टोरेट, गुना |
| 30 | अशोकनगर | कलेक्टोरेट, अशोकनगर |

| क्रमांक (1) | जिले का नाम (2) | नीलाम स्थल (3) |
|----------------|--------------------|---|
| 31 | शिवपुरी | कलेक्टोरेट, शिवपुरी |
| 32 | दतिया | संयुक्त कलेक्टोरेट भवन, दतिया |
| 33 | सागर | कलेक्टोरेट, सागर |
| 34 | दमोह | नवीन कलेक्टोरेट, दमोह |
| 35 | पन्ना | कलेक्टोरेट, पन्ना |
| 36 | टीकमगढ़ | संयुक्त कार्यालय भवन, जिला आबकारी कार्यालय, टीकमगढ़ |
| 37 | छतरपुर | कलेक्टोरेट, छतरपुर |
| 38 | रीवा | सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, रीवा |
| 39 | सतना | कलेक्टोरेट, सतना |
| 40 | शहडोल | संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल |
| 41 | उमरिया | कलेक्टोरेट, उमरिया |
| 42 | अनूपपुर | कलेक्टोरेट, अनूपपुर |
| 43 | सीधी | कलेक्टोरेट, सीधी |
| 44 | सिंगरौली | जिला कलेक्टर, कार्यालय, सिंगरौली |
| 45 | उज्जैन | सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, उज्जैन |
| 46 | शाजापुर | कलेक्टोरेट, शाजापुर |
| 47 | मंदसौर | जिला आबकारी कार्यालय, मंदसौर |
| 48 | नीमच | कलेक्टोरेट, नीमच |
| 49 | रतलाम | सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, रतलाम |
| 50 | देवास | जिला आबकारी कार्यालय, देवास |

परिशिष्ट-दो

वर्ष 2010-11 के लिए मध्यप्रदेश में ताड़ी की फुटकर बिक्री के लायसेंसों के नीलाम की कार्यवाही हेतु नियत स्थल

| क्रमांक (1) | जिले का नाम (2) | नीलाम स्थल (3) |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | इन्दौर | कलेक्टोरेट, इन्दौर |
| 2 | खण्डवा | आबकारी भवन परिसर, खण्डवा |
| 3 | बुरहानपुर | कलेक्टोरेट, बुरहानपुर |
| 4 | भोपाल | सहायक आयुक्त, आबकारी कार्यालय, भोपाल |
| 5 | होशंगाबाद | कलेक्टोरेट, होशंगाबाद |
| 6 | बैतूल | जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल |
| 7 | हरदा | कलेक्टोरेट, हरदा |
| 8 | जबलपुर | कलेक्टोरेट, जबलपुर |
| 9 | छिंदवाड़ा | कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा |

हस्ता./-

(अरूण पाण्डेय)

आबकारी आयुक्त,
मध्यप्रदेश.